सील्ड /रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-446/2023/666/22-2-2023-17(311)/2023
लखनऊ: दिनांक: 20 जुलाई, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय बहादुर सिंह(बन्दी संख्या-1223/17) पुत्र स्व0 शिवपति सिंह, निवासी ग्राम-खैराकोट मौजा पड़री वर्तमान पूरब टोला मेवालाल तालाब, थाना-कोतवालीनगर, जनपद-बलरामपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-218/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 323/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-03, गोण्डा के आदेश दिनांक 17.09.1981 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-07-09-2017 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक-02-12-2019 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया, की आयु 81 वर्ष होने, दिनांक 08.06.2022 तक 04 वर्ष 07 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष 04 माह की सपरिहार सजा, संतोषजनक जेल आचरण एवं मेडिकल बोर्ड द्वारा की गयी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-446/2023/666(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोण्डा।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in